बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

:: **संकल्प** ::

संकल्प सं0–3/सी0एस0/एम0–703/2011 1309/ दिनांक–23/09/2026

विषय :– **बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, के वेतन, दैनिक भत्ता एवं आतिथ्य भत्ता में संशोधन के संबंध में।**

बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को देय सुविधाओं का निर्धारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प ज्ञापांक–502, दिनांक–08.03.2007 तथा संशोधित संकल्प ज्ञापांक–298, दिनांक–27.04.2012, संकल्प ज्ञापांक–410, दिनांक–02.09.2013, संकल्प ज्ञापांक–659, दिनांक–19.11.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक–253, दिनांक–28.02.2025 द्वारा किया गया है।

02. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प ज्ञापांक–502, दिनांक–08.03.2007 एवं संशोधित संकल्प ज्ञापांक–298, दिनांक–27.04.2012 में उक्त सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव को देय वेतन, दैनिक भत्ता एवं आतिथ्य भत्ता में निम्नप्रकार संशोधन करने का निर्णय लिया है :–

(क) वेतन : मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभाव को पूर्व से देय वेतन रू0 25,000 (पच्चीस हजार) प्रति माह के स्थान के पर रू0 65,000 (पैंसठ हजार) प्रति माह वेतन देय होगा।

(ख) दैनिक भत्ता : मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभाव को पूर्व से देय रू0 1,000 (एक हजार) प्रति दिन के स्थान पर रू0 3,500 (तीन हजार पाँच सौ) प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा।

(ग) आतिथ्य भत्ता : मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभाव को निम्नप्रकार से आतिथ्य भत्ता प्रत्येक माह देय होगा :–

क्र०	कोटि	पूर्व में देय	वर्त्तमान में देय
1.	मंत्री	रू० 18,000 (अठारह हजार)	रू० 30,000 (तीस हजार)
2.	राज्य मंत्री	रू० 17,500 (सत्रह हजार पाँच सौ)	रू० 29,500 (उनतीस हजार पाँच सौ)
3.	उप मंत्री	रू० 17,000 (सत्रह हजार)	रू० 29,000 (उनतीस हजार)

03. मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभाव को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–502, दिनांक–08.03.2007 तथा संशोधित संकल्प ज्ञापांक–298, दिनांक–27.04.2012, संकल्प ज्ञापांक–410, दिनांक–02.09.2013, संकल्प ज्ञापांक– 659, दिनांक–19.11.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक–253, दिनांक–28.02.2025 में देय अन्य सुविधाएँ यथावत् रहेगी।

04. यह संशोधन निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। साथ ही, सरकार के सभी विभागों को इसकी प्रति उपलब्ध करायी जाय।

23/9/2026

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/सी0एस0/एम0–703/2011 1309 / पटना–15, दिनांक–23/09/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, विकास भवन, विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/2026

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/सी0एस0/एम0–703/2011 1309 / पटना–15, दिनांक–23/09/2026

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अध्यक्ष, वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

23/9/2026

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/सी0एस0/एम0–703/2011 1309 / पटना–15, दिनांक–23/09/2026

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

23/9/2026

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/सी0एस0/एम0–703/2011 1309 / पटना–15, दिनांक–23/09/2026

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/9/2026

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव